

23.08.2023

पत्रावली पेश कि गयी। अभियोजन की और से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री योगेन्द्र नयाल न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सिंह बिष्ट न्यायालय उपस्थित। पत्रावली 313 द0प्र0स0 एवं 437ए द0प्र0स0 हेतु नियत है। अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 कागज संख्या 31 क/ 01 लगायत 31 क/ 02 अंकित किये गये। अभियुक्त की और से विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 437ए0 द0प्र0स0 के अधीन सक्षम जमानती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। पत्रावली दिनांक 29.08.2023 को अंतिम बहस हेतु पेश हो।

(रवि अरोडा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोडा